

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य-1118/2019- 33/21-22 50180/राँची, दिनांक 02-02-2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो-हिन्नु, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- e-Governance के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के मुख्यालय, वेब प्रबंधन कोषांग तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु Computer एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के क्रय हेतु रु० 77.937 लाख (रुपये सतहत्तर लाख तिरान्वे हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश-स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों यथा Computer, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, Xerox Machine एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर संचालित होने वाले Online बैठकों के लिए एक SMART TV with accessories इत्यादि के क्रय हेतु रु० 77.937 लाख (रुपये सतहत्तर लाख तिरान्वे हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. e-Governance के अन्तर्गत मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों यथा Computer, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, Xerox Machine एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर संचालित होने वाले Online बैठकों के लिए एक SMART TV with accessories इत्यादि के क्रय हेतु राशि एवं अधिष्ठापन का स्थान परिशिष्ट-II, परिशिष्ट-III, परिशिष्ट-IV एवं परिशिष्ट-V पर संलग्न है।
3. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्रण पदाधिकारी की विवरणी परिशिष्ट-I पर संलग्न है।
4. संबंधित सामग्रियों के क्रय की प्रक्रिया क्रय नियमावली के अनुसार अथवा DGS&D दर पर अथवा Gem Portal पर किया जायगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
5. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-
 - (i) मुख्य शीर्ष 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता, उपशीर्ष - 70 - ई-गवर्नेन्स, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59- अन्य व्यय, (राशि - रु० 54.883 लाख) तथा
 - (ii) मुख्य शीर्ष 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष 052 - मशीनरी तथा उपस्कर, उपशीर्ष - 70 - ई-गवर्नेन्स, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59- अन्य व्यय, (राशि - रु० 23.054 लाख) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
6. ई-गवर्नेन्स मद में वर्ष 2021-22 के स्वीकृत निम्न बजट उपबंध का बजटीय उपबंध निम्नवत् है :-

i)	49S-4701-80-796-70-00-07-59	:-	रु० 150.00 लाख
ii)	49S-4701-80-052-70-00-07-59	:-	रु० 50.00 लाख
7. इस कार्य को 2021-22 एवं 2022-23 में पूरा किया जाएगा।

8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो-हिन्तू, राँची को संसूचित किया जाए।

ह०/-

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांति कुमार)

सरकार के सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य-1118/2019-33/21-22 50 त्तो /राँची, दिनांक 02-02-2022

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना-सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य-1118/2019-33/21-22 50 त्तो /राँची, दिनांक 02-02-2022

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची/देवघर कोषागार, देवघर/पलामू कोषागार, पलामू/गिरीडीह कोषागार, गिरीडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य-1118/2019-33/21-22 50 त्तो /राँची, दिनांक 02-02-2022

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य-1118/2019-33/21-22 50 त्तो /राँची, दिनांक 02-02-2022

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/ मेदिनीनगर/हजारीबाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मॉनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमण्डल, बगोदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य-1118/2019-33/21-22 50 त्तो /राँची, दिनांक 02-02-2022

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव